# ७. भारत का भाषायी-परिदृश्य तथा अनुवाद

डॉ. मीनाक्षी व्यास

भारतीय भाषायें भाषायें हैं, जिनका संस्कृत से उद्‌भव हुआ है। इनके अतिरिक्त सभी भारतेतर है जो किसी अन्य देश की हैं। भारतीय भाषायी परिदृश्य की भाषायें संस्कृत से निर्मित भाषायें हैं।

देश में अनेक जातियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार अनेक भाषायें भी हैं। इन भाषाओं की आंतरिक तथा बाह्य प्रकृति के आधार पर इनका अनुवाद किया जाता है। किसी प्रदेश की भाषा से प्रदेश की विभिन्न भाषाओं के अनुवाद हो सकते हैं। किसी काल की भाषा किसी काल की भाषा में अनुदित हो सकती है। वही अनुवाद सार्थक होता है जो विचारों को प्रेषित कर सकता है। जबकि भाषायें इतनी, भिन्नतायें लिये होती हैं उनके अर्थ ग्रहण करना कठिन है। यह भी संभव है कि किसी भाषा की प्रकृति अलग है, किंतु उससे विकसित भाषा की प्रकृति काल के अंतराल में अलग हो गई हो। उदाहरण के लिए, संस्कृत योगात्मक भाषा रही है और आज भी है, किंतु उससे विकसित हिन्दी अयोगात्मकता की ओर बढ़ी है।

संस्कृत से उद्‌भूत भाषायें भारतीय भाषायें मानी जाती हैं। यह अनेक भाषी देश हैं यहाँ कई भाषायें बोली जाती हैं। इनमें से कई भाशायें मुख्य मानी गयी हैं। ये सभी भाषाएँ देश के विभिन्न जातीय वर्गों से अर्थात् खुद की जाति से जुड़ी हुई है। ये भाषायें इतनी हैं जितनी कि विभिन्न जातियाँ हैं। इन जातियों का परस्पर संप्रेषण अनुवाद द्वारा हो सकता है।

किसी देश में साधारणतः सभी भाषाएँ 'राष्ट्र भाषाएँ' कही जा सकती हैं। फिर भी इन सब में से एक निश्चित राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए।

राष्ट्रीयाता के अस्तित्व को ध्यान में रखकर ही भाषाओं को 'राष्ट्रीय भाषाओं' का दर्जा दिया जा सकता है। संविधान ने केंद्र और राज्यों की पृथक भाषाओं को कार्यालयी भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। परंपरा ने उन्हें 'देश भाषाओं' का नाम दिया है। आधुनिक समय में उन्हें 'प्रादेशिक भाषाएँ' और 'प्रदेश भाषा' का नाम दिया गया है। भारत जैसे उपमहाद्वीप में .....'गण संघों' की परंपरा है, जिसने स्वतंत्र राज्य के केंद्र स्तर पर हिंदी को देश की राष्ट्र भाषा माना।

यह अवधारणा है कि भारत एक राष्ट्र है अतः इसकी एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। हिंदी सबसे उपयुक्त भाषा मानी गयी है।

भाषाओं के आधार पर प्रदेश अलग-अलग बने हैं। सभी प्रदेशों की अलग-अलग सभी भाषाओं में से राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न तथा इसके भाषाओं से अनुवाद में कई तथ्य ध्यान देने लायक हैं।

इन सभी की द्विभाषिक स्थिति है किंतु द्विभाषिकता सामाजिक, और आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होती है। शिक्षा तथा लगातार प्रयत्नों से स्थिति परिवर्तनीय रहती है।

सभी प्रदेशों की सभी वैचारिक भिन्नताएँ, दार्शनिकताएँ और संस्कृतियाँ अपनी भाषाओं में विकसित होती रही सभी प्रदेशों की बोलियों की भिन्नता काफी हद तक थी। जब अँगरेज़ी को शासकों द्वारा योजनाबद्ध शैक्षणिक प्रयासों से स्थापित किया गया था, उसी समय अनेक भारतीयों ने आधुनिकता तथा तकनीकी के नाम पर अँग्रेजी को अपना लिया। संप्रेषण में हिंदी तथा अँगरेज़ी संपर्क भाषा के रूप में हैं।

सामाजिक विभिन्नता धर्म और संस्कृति के कारण विभिन्न वर्गों की विभिन्न भाषायें, जातीयता के सामाजिक रूप समूहके तथ्य अलग-अलग जाति की भाषाओं में होते हैं। कहीं के भी वक्ता के लिए समाज और वातावरण की स्थिति का ध्यान में रखना जरूरी होता है तथा उस पर प्रतिक्रिया ही बातचीत का आधार बन जाती है।

भाषा-जन्य विविधता के दो रूप सामने आते हैं: **स्थानीय बोली का रूप** अर्थात किसी स्थान से सम्बद्ध विशेषताओं वाले भौगोलिक क्षेत्रीय रूप तथा **सामाजिक बोली का रूप** सामाजिकता से जुड़ा रूप होता है।

प्राचीन भारतीय विद्वानों द्वारा अर्धमागधी, प्राकृत तथा संस्कृत, तथा संस्कृत तथा अर्द्धमागधी तथा संस्कृत के बीच व्यावहारिक अनुवाद किए गए थे।

द्विभाषिकता को सामाजिक उत्थान के लिए निश्चित ढंग से तैयार किया गया था। भाषा के लेख का भिन्न भाषा अथवा अधिक भाषाओं से अनुवाद कार्य किया जाता है।

भारतीय भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन मानी जाती है। लौकिक संस्कृत के अतिरिक्त वैदिक संस्कृत का परिनिष्ठित परिष्कृत रूप संस्कृत है जिसे क्लासिक संस्कृत भी कहा जाता है, इस परिनिष्ठित रूप में साहित्य लिखा गया। इन्हीं से आधुनिक भारतीय भाषायें विकसित हुई।

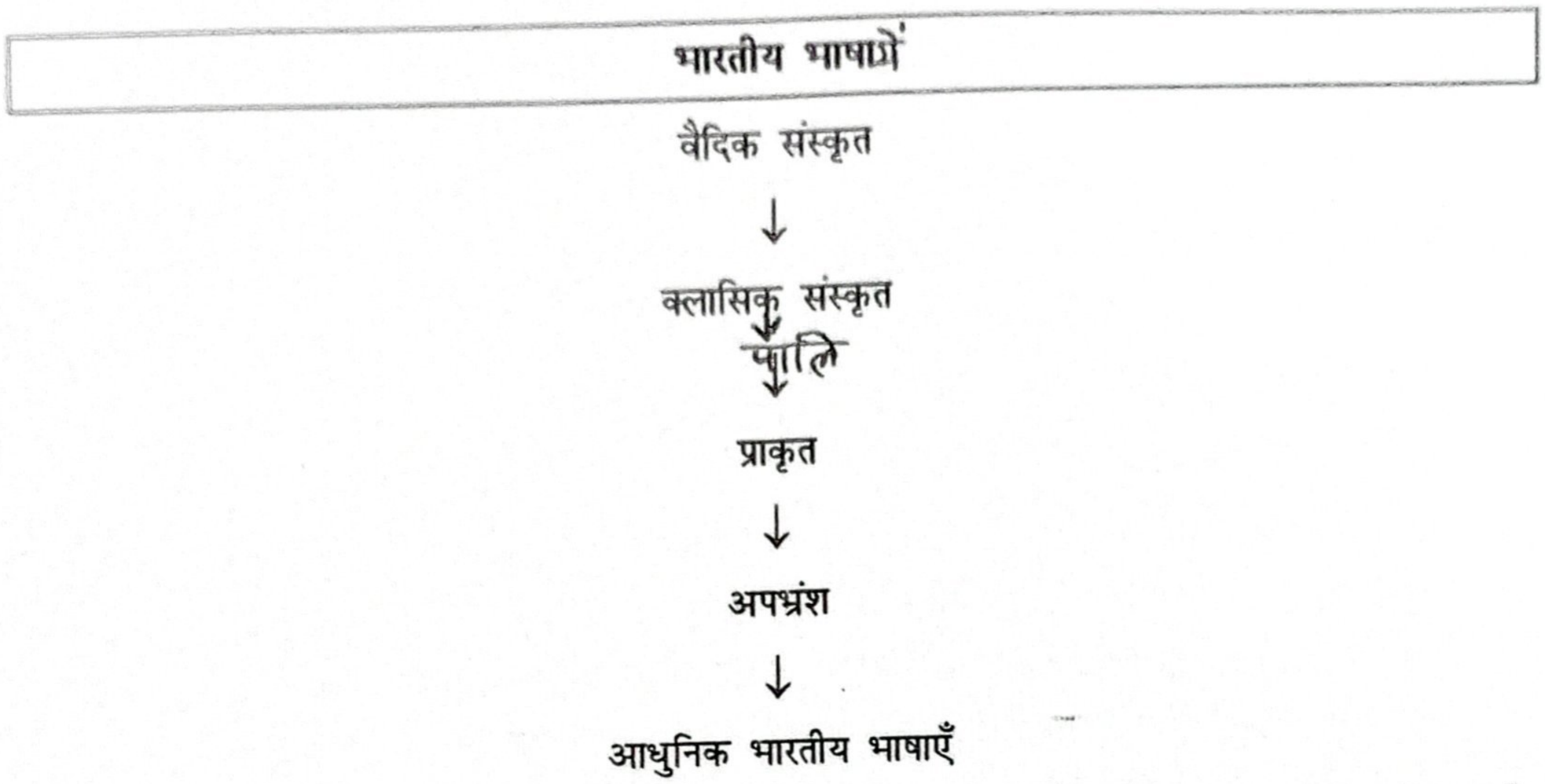


विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषायें संस्कृत से प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा होते हुए विकसित हुई थीं। ये भाषायें तथा उनकी बोलियाँ अपने स्थानीय प्रदेशों में विकसित हुई थी।

लेकिन विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक कारणों से उतनी विकसित नहीं हुई, जितनी की खड़ी बोली हुई है।

विभिन्न सामाजिक, धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक कारणों से हिन्दी प्राचीन काल से ही अपने विविध रूपों में विभिन्न प्रदेशों में प्रयुक्त होती रही है। 'हिन्दी' शब्द 'हिन्द' से बना। हिंदी का खड़ी बोली रूप भी अपभ्रंश से विकसित हुआ।

विभिन्न कारणों से खड़ी बोली से विकसित मानक भाषा हिंदी कई प्रदेशों में प्रयुक्त होती है।

हिन्दी प्रदेश में प्राकृतें प्रचलित थीं। जिसे हिन्दी कहते हैं, वह वास्तव में इन्हीं प्राकृतों की भाषाओं से विकसित है। विभिन्न प्राकृतों से विभिन्न भाषायें बन सकीं तथा इनमें से हरेक के अन्तर्गत इनकी बोलियाँ आती हैं। जो खुद के प्रदेशों में बोली जाती हैं। इनमें से हिन्दी कई प्रदेशों में बोली जाती है इसके अतिरिक्त उन प्रदेशों बोलियों के रूप में है, कई प्रदेशों में हिंदी तथा अंग्रेजी किसी न किसी रूप में सम्पर्क भाषा की तरह व्यवहृत होती है। इस प्रकार सम्पर्क भाषा के रूप में भारत हिन्दी प्रदेश है।

'हिन्दी' भाषा से तात्पर्य है- 'खड़ी बोली' से विकसित और नागरीलिपि में लिखी जाने वाली वह भाषा जिसे भारत की राष्ट्रभाषा, सामाजिक और सम्पर्क भाषा कहा जाता है। 'हिन्दी' का परिनिश्ष्त रूप-शिक्षा, प्रशासन, समाचार-पत्र, संस्कृति की विभिन्न विधाओं में संप्रेषण का माध्यम है। यह देश के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। साथ ही सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक रूप से यह प्रयुक्त होती।

आर्थिक, कारणों से भी हिन्दी तथा अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार कई हिन्दीतर भाषा-भाषी प्रदेशों में है। अहिन्दी भाषी प्रदेशों में उन प्रदेशों की भाषाओं के अतिरिक्त उन प्रदेशों के कई उद्देश्यों के लिए हिन्दी

तथा अंग्रेजी प्रयुक्त होती है तथा संप्रेषण इनके अनुसार होते हैं। विभिन्न भाषाओं के परस्पर अनुवाद की बजाय विभिन्न भाषाओं के हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद किये जाते हैं।

प्राचीन काल में विभिन्न भाषाओं के अनेक संतों ने लेखन में प्रदेश की भाषा को ही नहीं प्रयुक्त किया था, अपितु उनके हिंदी में लेखन ने उन्हें संत बना दिया।

संस्कृत तथा विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न भाषायें तथा बोली बोलने वालों के बीच उन्होंने सामाजिक और दार्शनिक कथ्य के वर्णन किये। इस कार्य के लिए उन्होंने खुद की भाषा के कथ्य भी हिंदी में अनुदित करके प्रस्तुत किये।

भारतीय भाषा परिदृश्य में अनेक भाषिक सन्दर्भ उन को देखें तो द्विभाषिक संदर्भ भी होते है: व्यक्तिगत धरातल पर वह अपने प्रदेश की मातृ भाषा का प्रयोग करता है, शिक्षा के संदर्भ में साक्षारता की माध्यम भाषा के रूप में वह स्थानीय बोली को अपनाता है, सामान्य शिक्षा के स्तर पर वह माध्यम भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करता है और अधिक शिक्षा के स्तर पर माध्यम भाषा से रूप में वह हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करता है। इस स्थिति ने अनेक व्यक्तियों को अनेकभाषी बना दिया है। इसके कारण उन्हें स्वयं अनुवादक बनना पड़ा है। कई स्थितियों में दो अथ्वा अधिक भाषाओं का उपयोग विचारों को व्यक्त करने में किया जाता है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये किसी पैराग्राफ अथवा पूरे लेख के अनुवाद के लिये विभिन्न भाषाओं में निम्नलिखित विशेषतायें होना जरूरी है-

- जिन भाषाओं में अनुवाद होना है वे स्थितियों तथा संदर्भों की अभिव्यक्ति में समर्थ हों।
- व्याकरणिक रूपों से अनुशासित भाषायें हों।
- विज्ञान के विषयों की आधुनिक तकनीकी अभिव्यक्तियों से युक्त भाषायें हों।
- विज्ञान से लेकर साहित्य तक की अभिव्यक्तियों में समर्थ हों।
- इन अभिव्यक्तियों के लिये उपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली भाषाओं में मौजूद हों।
- मुहावरों लोकोक्तियों को अनुदित करने में समर्थ हों।

इस दृष्टि से हिंदी तथा अंग्रेजी भाषायें अपनी अभिव्यक्ति में पूरी तरह अनुदित हो सकती है। इनमें से किसी भी भाषा की सामग्री को किसी भाषा में प्रस्तुत करके अनुवाद किया जाता है। समाज के अनेकभावी होने के कारण अनुवाद की ज़रूरत बढ़ी है।

समाज के विभिन्न स्तरों पर इसकी जरूरत होती है। साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान तकनीक, प्रशासन में अनुवाद का महत्त्व बढ़ गया है। प्रत्येक भाषा खुद के विशेष परिवेश में प्रयुक्त होती है अत: उसकी अपनी अलग विशेषतायें होती हैं।

अनुवाद का अर्थ है- 'किसी भाषा के भावों को उस भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करना।' इस दृष्टि से अनुवाद को किसी भाषा के कथन का किसी भाषा में रूपान्तरण, भाषांतरण कह सकते हैं।

किसी भाषा के कथन की किसी भाषा में अन्तरण की प्रक्रिया कठिन है क्योंकि किसी सभ्यता के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से दो भाषाएँ समान नहीं हो सकती हैं। कारण यह है कि अलग-अलग सभ्यताएँ हैं उनकी अपनी अलग-अलग भाषायें हैं।

● स्रोत भाषा में व्यक्त भावों को किसी भाषा में व्यक्त करना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि हर भाषा विशिष्ट परिवेश में पनपती है तथा तदनुरूप ही प्रत्येक भाषा मुहावरे तथा लोकोक्ति विषयक निजी अभिव्यक्तियाँ लिये होती है, शब्द और अर्थ की समान अभिव्यक्ति दूसरी भाषा में कदापि सम्भव नहीं होती, क्योंकि स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति से जो अर्थ स्पष्ट होते हैं, वो अनुवाद की गई भाषा के अर्थ से भिन्न हो सकते है।● कभी-कभी अनुवाद अधिक स्पष्ट, अधिक मुहावरेदार होता है। जबकी अनुवाद के लिये दिये गये लेख की भाषा के अर्थ को व्यक्त करना कठिन होता है।

अनुवाद एक भाषा का के कथ्य को किसी भाषा में पहुँचाना है। अतः अनुवाद के लिए दो भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान परम आवश्यक है। यदि अनुवादक को स्रोत तथा अनुवाद की भाषा के शब्दों और वाक्य का ज्ञान नहीं हो तो अनुवाद नहीं हो सकता। हिन्दी जैसी भाषाओं में एक बोली के कथ्य का किसी बोली अथवा भाषा में भाषांतरण अनुवाद कहा जाता है।

अनुवाद में भाषाओं का विश्लेषण रूपात्मक, कोशगत पारिभाषिक स्तरों पर किया जाता है। जो भाषायें इन सभी भाषायी स्तरों पर समर्थ हैं उन्हीं की सामग्री के अनुवाद हो पाते हैं।